-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कालिंजर पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित गैंग लीडर को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग लीडर) को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त एक संगठित रुप से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अतंर्राज्यीय गिरोह का गैंग लीडर है जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करता है। जिसके सम्बन्ध में थाना गिरवां में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना कालिंजर द्वारा की जा रही थी और अभियुक्त काफी समय से वांछित चल रहा था जिसे थाना कालिंजर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के करिया नाला हनुमान मंदिर मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मंगल पुत्र नत्थू निवासी मवई थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग अभियुक्त मंगल उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 351/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 03/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना गिरवां बाँदा।
3. मु0अ0सं0 79/18 धारा 147/148/149/307 भादवि 12/14 डीए एक्ट थाना कांलिजर बांदा।
4. मु0अ0सं0 81/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कांलिजर बांदा।
5. मु0अ0सं0 639/18 धारा 364ए/365/394/411/34/120बी भादवि थाना कोतवाली नगर बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री सुखराम सिंह प्र0नि0 थाना कालिंजर
2. उ0नि0 श्री रणजीत बहादुर सिंह
3. कां0 यादवेन्द्र सिंह
4. कां0 विमलेश सरोज
5. म0कां0 आरती